राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800 022

पत्रांक:-BSU(VC)-45/2019- 2321 /रा.स.(1), दिनांक- 20-10-2020

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद
राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

कुलपति,
बिहार कृषि विश्वविद्यालय,
सबौर, भागलपुर ।

विषय:-विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले नीतिगत निर्णय के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपका कार्यकाल निकट भविष्य में समाप्त हो रहा है । इस आलोक में माननीय कुलाधिपति सह महामहिम राज्यपाल, बिहार ने यह निर्देश देने की कृपा की है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय में किसी प्रकार के नीतिगत निर्णय/ किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण इत्यादि की कार्रवाई नहीं की जाय । इसी प्रकार किसी भी नई योजना या अन्य नए कार्य जिसमें वित्तीय दायित्व का निर्धारण हो रहा हो, वैसे निर्णय नहीं लिये जाय । यदि विशेष परिस्थितिवश कार्यहित में किसी प्रकार के नीतिगत/ वित्तीय निर्णय लिये जाने की आवश्यकता हो तो माननीय कुलाधिपति से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय ।

अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति के उपर्युक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाय तथा पत्र के प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

20/10/2020

(चैतन्य प्रसाद)
राज्यपाल के प्रधान सचिव